36TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE THROUGH VC/OAVM
PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH)
DELHI EDITION on 09.07.2025 AT PAGE NO. 26

fiem
LIGHT UP THE WORLD

FIEM INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037
Tel: +91-9821795327/28/29/30, **E-mail:** investor@fiemindustries.com
Website: www.fiemindustries.com **CIN:** L36999DL1989PLC034928

Re: 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

1. **NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Fiem Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, July 31, 2025 at 10:30 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")** facility without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA and SEBI Circulars") and all other applicable laws, to transact the business that is set forth in the Notice of the AGM.
2. In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25, including the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2025 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the RTA or Depository Participant. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing a web-link and a QR code for accessing the Notice of the AGM and the Annual Report is being sent to those members who have not registered their email IDs. Members may please note that in terms of MCA and SEBI Circulars, the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report has been dispensed with.
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide e-voting facility to its members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The electronic voting facility will be provided by MUFG Intime India Pvt. Ltd. **(MUFG IIPL).**
4. **All the members hereby informed that:**
   a) The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means i.e. 'Remote e-Voting before AGM' or 'e-Voting during AGM';
   b) Day, date, time of commencement of Remote e-voting: **Sunday, July 27, 2025 (1000 Hours IST);**
   c) Day, date, time of end of Remote e-voting: **Wednesday, July 30, 2025 (1700 Hours IST).**
   d) The Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the Remote e-voting Platform would be disabled by MUFG IIPL thereafter.
   e) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **July 24, 2025** may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of MUFG IIPL.
   f) Members may note that:
      (i) the Remote e-Voting module shall be disabled by MUFG IIPL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
      (ii) Members who have cast their vote by Remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM.
      (iii) Members participating in the AGM and who had not cast their vote by 'Remote e-voting', shall be entitled to cast their vote through 'e-Voting during the AGM'.
   g) Any person, who acquire shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of Notice of 36th AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. **July 24, 2025** may refer the instructions for e-voting as set out in the Notice of the AGM to cast their votes or may send a request at enotices@in.mpms.mufg.com or Call on Tel: 022 - 49186000.
   h) Mrs. Ranjana Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the voting by "Remote e-voting" as well as "e-Voting during the AGM" in a fair and transparent manner.
5. The Notice of the AGM and Annual Report is available on the website of the Company at **www.fiemindustries.com** on the website of BSE at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com** and also on the website of MUFG Intime (India) Pvt. Limited at **https://instavote.linkintime.co.in.** Further, Annual Report can be directly accessed at the following link on website of the Company i.e. **https://fiemindustries.com/annual-reports/**
6. **NOTICE** is further given that pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, as amended, **Thursday, July 24, 2025** has been fixed as **Record Date** for determining the entitlement of members for final dividend on Equity Shares, if declared at the AGM.
7. The shareholders, who have not registered their email address, mobile and KYC details with the RTA/Depositories and/or not updated the Bank Account mandate for receiving the dividend directly in their Bank Account through Electronic Clearing Service (ECS), are again requested to register / update the above details immediately, in the following manner:
   (i) **Registering / updating the details with DP:** In case the Shares held in demat mode, shareholder should register / update the email address, mobile no., bank account and KYC details in his / her demat account as per process advised by the DP.
   (ii) **Registering / updating the details with RTA:** In case the shares held in physical mode, the shareholders should immediately register / update the email ID, mobile and other KYC details by submitting prescribed Form ISR-1 at e-mail **investor@fiemindustries.com** or sending at registered office of the Company. Shareholders may download the prescribed Forms from the Company's website at **https://fiemindustries.com/investor-services-forms/** under Investor section, or from website of **RTA https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html**
8. In the event, Company is unable to pay the dividend to any member through electronic mode, due to incomplete Bank account details of the member, the Company shall dispatch the demand draft to such Member, at the earliest possible through permissible modes.
9. In case of any query or grievances in relation to holding the AGM through VC/OAVM, Remote e-voting, e-Voting during AGM; members may send the same at below mentioned addresses / officer of the Company / RTA:

Particulars	**Fiem Industries Limited**	**MUFG Intime India Private Limited**
Address	Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037	C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West) Mumbai 400083
Name & Designation	Mr. Arvind K. Chauhan, Company Secretary	Mr. Rajiv Ranjan Astt. Vice-President
Tel:	**+91-130- 2367905 to 10**	**+91-022 – 49186000**
E-mail ID	**investor@fiemindustries.com**	**enotices@in.mpms.mufg.com**

10. • **Shareholders are encouraged to exercise their voting rights, e-Voting makes it simpler.**
    • **Shareholders are advised to convert their physical shares in dematerialized form for ease of holding, transferability and other associated benefits.**
    • **Shareholders are advised to claim their Unpaid Dividend(s) well before transfer to IEPF. Once the Dividend / Shares transferred to IEPF, any claimant of Dividend / shares shall be entitled to claim back the same from IEPF in accordance with prescribed procedure and on submission of necessary documents only.**

For Fiem Industries Ltd.
Sd/-
Arvind K. Chauhan
Company Secretary

Date : July 09, 2025
Place : Delhi

FINANCIAL EXPRESS READ TO LEAD
Wed, 09 July 2025
https://epaper.financialexpress.com/c/777167

36TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE THROUGH VC/OAVM

PUBLISHED IN JANSATTA (HINDI)

DELHI EDITION on 09.07.2025 AT PAGE NO. 30

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

LIGHT UP THE WORLD

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 1ए और 1सी, प्रथम तल, कमर्शियल टावर्स,
होटल जेडब्ल्यू मैरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली–110037
टेलीफोन: 91–9821795327 / 28 / 29 / 30, ई–मेल: investor@fiemindustries.com
वेबसाइट: www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

विषय: 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना

1. **एतद्वारा सूचना दी जाती है कि फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना**, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र 09/2024 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–पीओडी 2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (इसके बाद सामूहिक रूप से ''एमसीए और सेबी सर्कुलरस'' के रूप में संदर्भित) और अन्य सभी लागू कानूनों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को करने के लिए आयोजित की जाएगी।

2. एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों सहित एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल पते आरटीए या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए एक वेब–लिंक और एक क्यूआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है, जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**एमयूएफजी आईआईपीएल**) द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. **सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :**

क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है, अर्थात 'एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग' या 'एजीएम के दौरान ई–वोटिंग' ;

ख) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय : रविवार, 27 जुलाई, 2025 (1000 बजे आईएसटी);

ग) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय : बुधवार, 30 जुलाई, 2025 (1700 बजे आईएसटी)

घ) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एमयूएफजी आईआईपीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ङ) कट–ऑफ तिथि 24 जुलाई, 2025 को भौतिक अथवा अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एमयूएफजी आईआईपीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं।

च) सदस्यगण नोट करें कि :

(i) एमयूएफजी आईआईपीएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट एजीएम से पूर्व डाल चुके होंगे, वे वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला होगा, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

छ) कोई भी व्यक्ति, जो 36वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि यानी 24 जुलाई, 2025 तक शेयर रखता है, वह अपना वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना में दिए गए ई–वोटिंग के निर्देशों का संदर्भ ले सकता हैं या enotices@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेज सकता हैं या टेलीफोन : 022 – 49186000 पर कॉल कर सकता हैं।

ज) श्रीमती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा 36वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

5. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एमयूएफजी इनटाइम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट को सीधे कंपनी की वेबसाइट यानी निम्न लिंक पर देखा जा सकता है https://fiemindustries.com/annual-reports/

6. यह भी सूचित किया जाता है कि संशोधित लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश (यदि एजीएम में घोषित किया जाता है) के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को तय किया है।

7. जिन शेयरधारकों ने आरटीए / डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल पता, मोबाइल और केवाईसी विवरण पंजीकृत नहीं कराया है और / या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता अधिदेश को अद्यतन नहीं किया है, उनसे पुनः अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण तुरंत निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत / अद्यतित करें:

(i) डीपी के पास विवरण पंजीकरण / अद्यतनीकरण: यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई–मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत / अद्यतित करवा लें।

(ii) आरटीए के साथ विवरणों को पंजीकरण / अद्यतनीकरण: भौतिक रुप में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारकों को ई–मेल investor@fiemindustries.com पर निर्धारित फार्म ISR-1 जमा करके ईमेल आईडी, मोबाइल और अन्य केवाईसी विवरणों को तुरंत पंजीकृत / अपडेट करना चाहिए। अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें। शेयरधारक कंपनी की वेबसाइट https://fiemindustries.com/investor-services-forms/ से निवेशक अनुभाग के तहत या आरटीए की वेबसाइट https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

8. यदि कंपनी किसी सदस्य को बैंक खाते के अधूरे विवरण के कारण इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे सदस्य को यथाशीघ्र स्वीकार्य तरीकों से डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।

9. वीसी / ओएवीएम, रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले मेंय सदस्य इसे नीचे दिए गए पते / कंपनी / आरटीए के अधिकारी को भेज सकते हैं:

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता	यूनिट नं. 1ए और 1सी, प्रथम तल, कमर्शियल टावर्स, होटल जेडब्ल्यू मैरियट, एरोसिटी, नई दिल्ली–110037	सी–101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विखराली, (पष्चिम) मुंबई 400083
नाम और पदनाम	श्री अरविंद के. चौहान, कम्पनी सचिव	श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष
फोन	+91–130–2367905 से 10 तक	+91–022–49186000
ई–मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	enotices@in.mpms.mufg.com

10. • शेयरधारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसको आसान बनाती है।
    • शेयरधारकों को शेयरों के धारण, हस्तांतरण की आसानी और अन्य संबद्ध लाभों के लिए अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रुप में बदलवा लेने की सलाह दी जाती है।
    • शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अदत्त लाभांष की मांग, उसको आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व ही कर लें। लाभांष / षेयर एक बार आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया अपना कर तथा आवष्यक दस्तावेज जमा करके ही उसको आईईपीएफ से मांगने का हकदार है।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता. / –
अरविन्द के. चौहान
कम्पनी सचिव

तिथि : 09 / 07 / 2025
स्थान : दिल्ली